




**FORM No- III**

**फर्द अहकाम**

**(नियम 26)**

अज अदालत सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी), मुकाम जायल  
 विक्रम बनाम रामचन्द्र  
 मु०न० 110 /2012

किस्म मुकदमा राजस्व वाद





तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25.04.12	<p>वादीगण ने जरिऐ अभिभाषक प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,53 के तहत पेश किया हैं। वाद,वादी दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन वास्ते जबाब देही तलव किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 23.05.2012 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">               सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)              जायल              (एस. डी. ओ.)         </p> <p>23/5/12 वकील वाली उपरोक्त सम्मन संलग्न पत्रावली द्वारा गणना की जाती है। अधिवासी की वाद पेश किया है। पत्रावली दिनांक 11-6-12 को पेश है।</p> <p>11/6/12 पत्रावली संलग्न हुई। वक़लायत उजा. प्रतिक्रिया है। जो को ले वकील M.L. कटवाल ने पत्रावली गणना भ्रम इफ्तखारले पत्रावली संलग्न किया जो शीर्षक है। पत्रावली दिनांक 23/6/12 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">               सहायक कलक्टर              (एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)         </p>	
25/6/12	<p>वक़लायत उजा - उरीवासी संघ 2 को सम्मन जारी करके उजा गणना द्वारा पत्रावली सम्मन के इन्तजार में दिनांक 21/8/12 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">  </p>	

# FORM NO. 3

## फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट)

(नियम 28)

प्राय.....  
 .....बनाम.....  
 की किस्म.....  
 की संख्या..... वर्ष.....

दिख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
26/10	<p>कुल्लुय 345/2145 काडी हेतु लमद चाव हे 01 डिग जमल फ्यारडी डि 6/10/17 को प्रेरणा</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p>	
62/17	<p>पीठासीन अधिकारी नी मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गमे हुए हे, इसलिए प्रकरण उनके सम्मक्ष दिनांक. 6.3.12 .....को प्रस्तुत करें।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p>	
63/17	<p>कुल्लुय 435/2145 काडी आईन्डा करवावा चावते हे पत्रावली डि 12.5.17 को प्रेरणा</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p>	
23/8/17	<p>पीठासीन अधिकारी नी मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गमे हुए हे, इसलिए प्रकरण उनके सम्मक्ष दिनांक. 12.11.17...को प्रस्तुत करें।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p>	
17.11.17	<p>पीठासीन अधिकारी नी मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गमे हुए हे, इसलिए प्रकरण उनके सम्मक्ष दिनांक. 21.2.18...को प्रस्तुत करें।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p>	
21.2.19	<p>पीठासीन अधिकारी नी मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गमे हुए हे, इसलिए प्रकरण उनके सम्मक्ष दिनांक. 01.6.18...को प्रस्तुत करें।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p>	

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश
23.5.18	<p>पत्रावली न्याय आण के द्वारा सिविल में अल सेवा फ्रेन्ड आफल में पत्रावली पेश हुई। वकील वारी ने नोटिस कट निवेदन किया कि वादीगण कास को चलाना नहीं चाहते हैं। यदि वे विद्रोह स्वयंज किया जावे। वकील वारी के निवेदन पर वादीगण का कास जादये विद्रोह स्वयंज किया जाता है। पत्रावली केसल शुभाहोत नम्बर से सुम होत फलत हायिल हो</p>

not present

